-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.12.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2018 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में व्यक्ति से रंगदारी मांगने व विरोध करने पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर घायल कर देने वाले 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 07-07 वर्ष के कारावास व 37 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2018 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत मर्दननाका में व्यक्ति से रंगदारी मांगने व विरोध करने पर तमंचा से फायर कर घायल करने वाले 04 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 30.01.2018 को कोतवाली नगर क्षेत्र के छिपटहरी मर्दननाका के रहने वाले आदिल पुत्र फरोखुद्दीन से 1-शेरु पुत्र बसन्ता, 2-इमरान पुत्र बसन्ता, 3-मोहसीन पुत्र असलम व 4-काले उर्फ सलमान पुत्र रसीद उर्फ लाला द्वारा 20 हजार रुपये की रंगदारी मांगी गई, विरोध करने पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर घायल कर दिया गया। इस सम्बन्ध में पीड़ित आदिल उपरोक्त की मां की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर **मु0अ0सं0 85/18 धारा 147/307/387/506 भादवि** का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी **विवेचना उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह** द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक **श्री विजय बहादुर सिंह व श्री उमाशंकर पाल** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी भानू प्रताप तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार** के अथक प्रयासों से सभी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा **07-07 वर्ष के कारावास व 37 हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. शेरु पुत्र बसन्ता निवासी छिपटहरी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. इमरान पुत्र बसन्ता निवासी छिपटहरी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मोहसीन पुत्र असलम निवासी छिपटहरी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. काले उर्फ सलमान पुत्र रसीद उर्फ लाला निवासी छिपटहरी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

अभियोजक
श्री विजय बहादुर

अभियोजक
श्री उमाशंकर पाल

विवेचक
उ0नि0 श्री अजय कुमार

कोर्ट मोहर्रिर
मु0आ0 भानू प्रताप

पैरोकार
मु0आ0 दिनेश कुमार